

Publications	Editions	Published On
Business Remedies	Jaipur	06.08.2025
Nafa Nuksan	Jaipur	06.08.2025

आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालय: खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान

फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए.12ए सेक्टर.1ए नोएडा.201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: <http://www.rswm.in>

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड की 64वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ("**कम्पनी**") की 64वीं वार्षिक आम बैठक ("**एजीएम**") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("**वीसी**")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("**ओएवीएम**") के माध्यम से **शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2025 को 2:00 बजे अपराह्न** 64वीं एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान खारीग्राम, पी. ओ. गुलाबपुरा-311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") एवं जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों और अधिसूचनाओं (जिनमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) और यथा समय यथा संशोधित, के अनुपालन में कम्पनियों को एजीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित करने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा-311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में एवं सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के क्रम में, एजीएम की सूचना एवं एकीकृत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजी जाएंगी जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025 तक पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों का ईमेल कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, उन्हें एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना का वेब लिंक प्रदान करने वाला पत्र पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.rswm.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 30 अगस्त, 2025 से शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2025 (दोनों दिवस सम्मिलित)** तक बंद रहेंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने **नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 2 सितम्बर, 2025 (9:00 बजे पूर्वाह्न) से प्रारम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 2025 (5:00 बजे अपराह्न)** समाप्त होगी। **शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 की कट-ऑफ तिथि** के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने हेतु पात्र होंगे।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, **कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025** को दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले एवं जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई-वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

ईमेल पते के पंजीकरण की प्रणाली:

सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को पंजीकरण के लिए अपने ईमेल पते और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। इन्हें पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित है:

<p>भौतिक शेयर धारिता के मामले में</p>	<p>कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिट: आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड), 179-180, डीएसआईडीसी शेड, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज - I, नई दिल्ली -110020 को फॉर्म ISR-1 में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:</p> <p>क) फोलियो नंबर, ख) शेयरधारक का नाम, ग) ईमेल पता, घ) पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), ङ) आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), च) शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे), छ) संपर्क नम्बर</p> <p>बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:</p> <p>क) बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभार्श प्राप्त करना चाहते हैं, ख) बैंक खाता प्रकार, ग) बैंक खाता संख्या, घ) MICR कोड संख्या, ङ) आईएफएससी कोड, एवं च) प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति</p>
<p>डीमैट शेयर धारिता के मामले में</p>	<p>कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।</p>

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं या जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक के दौरान एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य <http://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022- 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र(ओं) के अनुपालन में है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड

हास्ता/—

सुरेन्द्र गुप्ता

वी.पी. लीगल व कम्पनी सचिव

एफसीएस-2615

स्थान: नोएडा (उ.प्र.)

दिनांक: 5 अगस्त, 2025